

30.5.18

पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्रवाई
 के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के
 तहत कोर्ट वेब पोर्टल में फ़ै
 डुई / अपीलान्त रूपों उपस्थित।
 रिकॉर्ड सं 01 उपस्थित / अपीलान्त
 व रिकॉर्ड सं 01 ने संशुद्ध रूप
 से उपरोक्त पत्र प्रेषित कर निकल
 किया कि हमारे बीच जो जमीनी
 विवाद था, वो हमने आपसी राजीनामा
 कर लिया है। हमारे केश को
 यही समाप्त करावें।

30/5/18

11/2/2018

इस पर हमने अपीलान्त को
 सुना। पत्रावली का ध्यान रखते
 हैं कि आपकी विदा। अपीलान्त ने यह
 अपील रिकॉर्ड के विरुद्ध पेश
 कर, तहसीलदार वापस रका जारी
 विभाजन आदेश दिनांक 10.6.2016 को
 निरस्त करने हेतु धारा 225 राजस्थान
 कानूनकारी अधिनियम के तहत
 हमारे केश पेश की हो गई
 पक्षकारान के आपस में राजीनामा
 लेना कि गजब कराया है, लिहाजा अपीलान्त
 को अपीलान्त ज़रूरी विज्ञापन खारिज
 की जाती है। आदेश सुनाया गया।
 फ़ैसल सुमा (डॉक्टर पत्रावली) द्वारा
 प्रेषित है।

अपर कलेक्टर बाड़मेर
 (ए.डी.एम.)